न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या – 2025/175

सिविल प्रकरण संख्याः– 50/2025 तारीख रजू 23.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।
..........आवेदक

बनाम

1. बबलू सिंह पुत्र श्री श्यामबाबू, पेन्ट्रीकार मैनेजर, गाडी सं. 12239 पी.सी.नं. 108040, मैसर्स आराह होस्पिलिटि प्रा.लि. 119/3, एमएनके रोड, बराह नगर, नोर्थ–24 पारगन्स, (प.बं.) पिन–700036 घर का पता– ग्राम सरोजपुरा, नदीम आगरा, नदीम (यू.पी.)–283124 (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. मैसर्स आराह होस्पिलिटि प्रा.लि. 119/3, एमएनके रोड, बराह नगर, नोर्थ–24 पारगन्स, (प.बं.) पिन–700036 (लाइसेंसी)
3. भूपेन्द्र एम ठक्कर पुत्र श्री मावजीलक्ष्मीदास ठक्कर, मैसर्स आराह होस्पिलिटि प्रा.लि. 119/3, एमएनके रोड, बराह नगर, नोर्थ–24 पारगन्स, (प.बं.) पिन–700036 (फर्म/नोमिनी) घर का पता– 11, अम्बिका भवन, चन्दन बाग, चन्दन बाग रोड, आंध्रा बैंक के पास, मलण्ड, मुम्बई (महाराष्ट्र)–40080 .... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स –2011

निर्णयः– **दिनांक 08/09/2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश चंद मीना (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 29.07.2024 को समय 11.00 बजे गाडी सं. 12239 पेन्ट्रीकार सं. 108040/सी मैसर्स आराह होस्पिलिटि प्रा. लि. 119/3, एम.एन.के. रोड, बराह नगर, नोर्थ–24 पारगन्स, (प.बं.) पिन–700036 का निरीक्षण किया जहां पर पेन्ट्रीकार मैनेजर बबलू सिंह खाद्य पदार्थ '' Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil '' की बिक्री कर रहे थे, को अपना परिचय दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए रखे खाद्य पदार्थ '' Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil '' में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 02 किग्रा. के 04 पार्ट में '' Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil '' वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 480/– रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ '' Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil '' मात्रा 02 किग्रा. को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में 500–500 ग्राम '' Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil '' को 04 [illegible] प्रत्येक पार्ट में 40–40 बूंद प्रिजरवेटिव फोरमेलिन डालकर अच्छी तरह मिलाया [illegible] ढक्कन लगाकर प्रत्येक [illegible] को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधि[illegible]
एवं अति. जिला मजि[illegible]
सवाई माधोपुर

पैक किया गया और लेवलों पर अभीहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं क्रमांक डब्ल्यूसीआर/915–1430 दर्ज किया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–1430 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपडी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। पेन्ट्रीकार मैनेजर बबलू सिंह को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथे भाग की जांच प्रत्यायित प्रयोगशाला से करवाना चाहते हैं। लेकिन पेण्ट्रीकार मैनेजर ने इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया। पेण्ट्रीकार मैनेजर बबलू सिंह को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया कि उक्त खाद्य सामग्री उसने कहां से खरीदी है। इसकी खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मेमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करें लेकिन पेण्ट्रीकार मैनेजर द्वारा इस संबंध में " Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil " की खरीद का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर पेण्ट्रीकार मैनेजर श्री बबलू सिंह, गवाह एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसएसए दिनांक 21.08.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3138/एक्ट/2024/2934 दिनांक 13.08.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ " Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil" खाद्यपदार्थ का नमूना Sub-standard पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Sub-standard खाद्य पदार्थ " Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil " का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से अभियुक्त संख्या 1 उपस्थित हुये तथा प्रकरण में अभियुक्तगण क[illegible] में आज ही सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में [illegible] पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र [illegible] कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ " Prepered [illegible] Dal' Made in Refined

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

ground nut Oil " सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त ने पेश किये गये जबाव अनुसार बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त संख्या 1 से **खाद्य पदार्थ** " Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil " का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में गलती नहीं दोहराने का निवेदन करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3138/एक्ट/2024/2934 दिनांक 13.08.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** " Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil " सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में गलती स्वीकार की गई है तथा भविष्य में गलती नहीं दोहराने का निवेदन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** " Prepered Moong Dal' Made in Refined ground nut Oil " का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 20,000/—रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये), अभियुक्त संख्या 2 पर 20,000/—रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 3 पर 20,000/—रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.09.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर